"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531]　　रायपुर, शनिवार, दिनांक 21 नवम्बर 2015—— कार्तिक 30, शक 1937

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2015

आदेश

क्रमांक-एफ-54-13/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2015/3111.—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) एवं नगरपालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियम 11क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20 (2) (क) तथा 21 (1), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 36 (2) (क) तथा 37 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिकाओं (नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में अंकित नगरपालिकाओं (नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के आम/उप निर्वाचन हेतु निम्नानुसार विहित करता है :-

क्र.	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा)	21	7-12-2015 सोमवार	पूर्वान्ह 10.30 बजे
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा)	22-क	7-12-2015 सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	16	7-12-2015 सोमवार	प्रात: 10.30 बजे

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	समय (5)
	(iv) नाम निर्देशन करने की शुरुआत (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	21	7-12-2015 सोमवार	पूर्वान्ह 10.30 बजे से (नामनिर्देशन नियत दिनांकों को पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा)
2.	नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	21 (क)	14-12-2015 सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन की संवीक्षा (जांच) (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	21 (ख)	15-12-2015 मंगलवार	पूर्वान्ह 10.00 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	17-12-2015 गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	31, 32	17-12-2015 गुरुवार	अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6.	(i) मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	28-12-2015 सोमवार	प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
	(ii) मतदान केवल जिला-कांकेर, सुकमा, बीजापुर में स्थित नगरपालिकाओं के लिए (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	28-12-2015 सोमवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
7.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	21 (ङ) 74	31-12-2015 गुरुवार	प्रात: 9.00 बजे से

हस्ता./-
(ओंकार सिंह)
सचिव.

परिशिष्ट-एक
(आम निर्वाचन)

क्र. (1)	जिला (2)	नगरपालिकाओं के नाम (3)
1.	दुर्ग	नगर पालिक निगम, भिलाई नगरपालिका परिषद्, जामुल
2.	बेमेतरा	नगर पंचायत, मारो
3.	राजनांदगांव	नगरपालिका परिषद्, खैरागढ़
4.	कोरिया	नगरपालिका परिषद्, बैकुंठपुर नगरपालिक परिषद्, शिवपुरचरचा
5.	सुकमा	नगर पंचायत, कोंटा
6.	बीजापुर	नगर पंचायत, भैरमगढ़ नगर पंचायत, भोपालपट्नम
7.	कांकेर	नगर पंचायत, नरहरपुर
8.	सूरजपुर	नगर पंचायत, प्रेमनगर
	योग	11

परिशिष्ट-दो
(उप निर्वाचन)

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगरपालिका का नाम (3)	वार्ड क्र. (4)
1.	जांजगीर चांपा	नगर पंचायत, नयाबाराद्वार	2
		नगर पंचायत, नवागढ़	9
		नगर पंचायत, चन्द्रपुर	9
2.	धमतरी	नगर पंचायत, भखारा	6
3.	बालोद	नगर पंचायत, डोण्डी	14 एवं 15
4.	राजनांदगांव	नगर पंचायत, गण्डई	8
		नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़	22

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.